कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0– 300/16-17/

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
02.11.2020	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांकः– 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांकः–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी ।जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा ....सिलाफारी.... थाना नं0 ..38.. खाता नं0 ..27, 47.. खेसरा नं0 ..1211/2, 1201,.. रकबा ..2.43, 1.00.. एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास ,अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या ..I.. के पृष्ठ संख्या ..64.. पर जमाबंदी रैयत ..बन्धना लोहार.. ....पिता/पति ..मंगरू लोहार.. के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से सबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशांसित किया जाय। अभिलेख दिनांक ..10/11/2020.. को रखें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी कर्रा।	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
10.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत बंधना लोहार पिता मंगल लोहार के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं0 021841 वर्ष 2014–15 एवं एवं Form-M (Rent Shedule) वर्ष 1978 का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा सिलाफारी, थाना नं0 38 के सर्वे खतियान में खाता सं0 27 एवं 47 रकबा 3.43 एकड़ भूमि क्रमशः गैरमजुरूआ मालिक नवैईत में गैरमजुरूआ किस्म परती गढ़ा दर्ज है। राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ट सं0 64 खाता सं0 27 एवं 47 मधे प्लॉट सं0 121/1 एवं120/1 रकबा क्रमशः 2.43 एवं 1.00 कुल रकबा 3.43 एकड़ बंधना लोहार पिता मंगल लोहार के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल–खारिज बंदोबस्ती केस नं0 120 एवं 121 भू0 सु0 खूँटी द्वारा स्वीकृत 452/1553 वर्ष 1970–71 दर्ज है। पंजी II में प्रथम लगान रसीद 1991–92 को कटा दर्ज है। अन्तिम लगान रसीद 2014–15 में कटा दर्ज है। खाता सं0 27 एवं 47 प्लॉट सं0 121/1 एवं120/1 रकबा क्रमशः 2.43 एवं 1.00 कुल रकबा 3.43 एकड़ बंधना लोहार पिता मंगल लोहार के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 28 वर्षो से दखल–कब्जा है। एवं कृषि कार्य करते आ रहे हैं। पंजी II रैयत अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं0 27 एवं 47 मधे प्लॉट सं0 121/1 एवं120/1 रकबा क्रमशः 2.43 एवं 1.00 कुल रकबा 3.43 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	